पत्र–सख्या–जी0एस0टी0/2017–18/ 1718085 / 1334 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 30 जनवरी, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, (कार्यपालक/ कारपोरेट/टैक्स आडिट),
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी।

विषय– <u>इन्वर्टेट ड्यूटी स्ट्रक्चर, डीम्ड निर्यात तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त आई.टी.सी. होने पर रिफण्ड क्लेम करने हेतु मैनुअल प्रार्थना पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित कार्यवाही– विषयक।</u>

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–1067/एडी0कमि0(जीएसटी–अनुभाग)/वाणिज्य कर मुख्यालय दिनांक 28/11/2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जीरो रेटेड पूर्तियों के संबंध में रिफण्ड के दावे का मैन्युअल दाखिला एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया संसूचित की गई थी।

उक्त के संदर्भ में पुनः अवगत कराना है कि जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर रिफण्ड मॉड्यूल के उपलब्ध न होने के कारण जी.एस.टी. काउंसिल के निर्देशानुसार सक्षम स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित रिफण्ड (जिसमें विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–1663/XI–9(15)/17यू0पी0जी.एस.टी. रूल्स 2017 आदेश–(73) दिनांक 16.11.2017 में वर्णित आपूर्ति सम्मिलित है), डीम्ड निर्यात एवं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त अधिशेष से संबंधित रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र तथा रिफण्ड क्लेम हेतु आवश्यक प्रपत्र व फार्म अग्रिम आदेशों तक मैनुअली जमा किए जाएंगे। उक्त के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम–2017 की धारा–168 के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि निम्न श्रेणी के रिफण्ड हेतु उपरोक्त परिपत्र संख्या–1067/एडी0कमि0(जीएसटी–अनुभाग)/वाणिज्य कर मुख्यालय दिनांक 28/11/2017 में दिये गये निर्देश उस समय तक लागू रहेगें जहां रिफण्ड क्लेम करने की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित कार्यवाही उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम–2017 एवं उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार है।

(i) अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफण्ड जहां ऐसी क्रेडिट इनपुट पर कर की दर वस्तुओं व सेवाओं की आउटपुट सप्लाई (निल रेटेड अथवा पूर्ण करमुक्त आपूतियों को छोड़कर) पर कर की दर से अधिक होने के कारण संचित (accumulated) हुई हो, परन्तु उसमें सरकार द्वारा जी.एस.टी. काउंसिल के रिकमंडेशन पर विज्ञापित आपूर्ति सम्मिलित नहीं है (उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा–54(3)) ।

(ii) वस्तुओं की ऐसी आपूर्तियां, जिन्हें डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है, पर कर का रिफंड।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस का रिफण्ड।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि Zero rated supplies, Inverted tax structure, deemed export तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अधिशेष से संबंधित रिफण्ड का क्लेम हर माह Form GST RFD-01A में किया जाएगा। परन्तु ऐसे व्यापारी जिनका विगत वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर रू.1.5 करोड़ तक था अथवा संगत वित्तीय वर्ष में यदि व्यापारी द्वारा त्रैमासिक Form GSTR-1 दाखिल करने का विकल्प चयनित किया गया है (विज्ञप्ति सं0– क0नि0–2–1790/XI–9(42)/17यू0पी0एक्ट.–1–2017–आदेश–(83)–2017 दिनांक 24.11.2017 के अनुसार) तो उन व्यक्तियों द्वारा रिफण्ड हेतु आवेदन भी त्रैमासिक रूप से किया जायेगा। किसी कर अवधि हेतु रिफण्ड क्लेम उस अवधि के Form GSTR-1को दाखिल करने के पश्चात ही किया जा

सकता है। जिस माह से संबंधित रिफण्ड क्लेम हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया जा रहा है, उस माह से पूर्व का वैध रिटर्न GSTR-3B नियमानुसार दाखिल है यह सुनिश्चित किया जाएगा। चूँकि प्रपत्र GSTR-1 दाखिल करने की समयावधि बढ़ाई जा चुकी है तथा प्रपत्र GSTR-2 एवं प्रपत्र GSTR-3 दाखिल करने हेतु दिनांक अभी विज्ञापित होना शेष है, अतः ऐसे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनंतिम रूप से स्वीकृत आई.टी.सी. क्लेम के दावे को स्वीकार करते हुए रिफण्ड अनुमोदित कर दिये जायें। तथापि पंजीकृत व्यक्ति जिसके द्वारा रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र दिया जा रहा है उसके द्वारा अनिवार्य रूप से यह शपथ पत्र देना होगा कि यदि रिफण्ड की गयी धनराशि के सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाता है कि उ0प्र0 माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा–16 की उपधारा–2 के क्लॉज–सी सपठित धारा–42 की उपधारा (2) की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है तो स्वीकृत रिफन्ड की धनराशि ब्याज सहित सरकार को वापस की जायेगी। यह शपथ पत्र, रिफन्ड क्लेम फार्म RFD-01A जब तक कॉमन पोर्टल उपलब्ध है, के साथ ही मैन्युअली दाखिल किया जायेगा।

3. ऐसे मामले जहाँ रिफण्ड क्लेम Inverted tax Structure के आधार पर जनित है फॉर्म– GST RFD-01 के निम्न स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट 1 व स्टेटमेन्ट 1A भी भरे जायेंगे :–

<u>Statement 1</u> [नियम 89 (5)]

रिफण्ड का प्रकार : Inverted tax Structure के कारण संचित I.T.C. (धारा 54(3) के प्रथम परन्तुक का क्लॉज (ii))

इनवर्टेड रेटेड वस्तुओं की सप्लाई का टर्नओवर	इनवर्टेटेड रेटेड वस्तुओं की सप्लाई पर देय कर	समायोजित कुल टर्नओवर	नेट आई. टी.सी.	अधिकतम क्लेम की जा रही रिफण्ड की धनराशि[(1x4÷3)-2]
1	2	3	4	5

<u>Statement 1A</u> [नियम 89(2)(h)]

रिफण्ड का प्रकार : Inverted tax Structure के कारण संचित (धारा 54(3) के प्रथम परन्तुक का क्लॉज (ii))

क्र0 स0	इनवर्ड सप्लाई से संबंधित प्राप्त इनवॉयसेज का विवरण			इनवर्ड सप्लाई पर दिया गया कर			आउटवर्ड सप्लाई हेतु जारी इनवॉयस का विवरण			आउटवर्ड सप्लाई पर दिया गया कर		
	इनवॉयस नम्बर	दिनांक	कर योग्य धनराशि	इनटीग्रेटेड कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	इनवॉयस नम्बर	दिनांक	कर योग्य धराशि	इनटी ग्रेटेड कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञप्ति सं0–क0नि0–2–1696/ग्यारह–9(42)/17–उ0प्र0जी0एस0टी0नियम–2017–आदेश–(71)–2017 दिनांक 16.11.2017 प्रभावी दिनांक 18.10.2017 द्वारा SGST ACT की धारा 147 के प्राविधानों के अनुसार कतिपय वस्तुओं की सप्लाई को डीम्ड निर्यात माना गया है एवं अग्रेतर SGST Rules के नियम 89(1) में तीसरे परन्तुक के अनुसार प्राप्तकर्ता (Recipient) अथवा विक्रेता (Supplier) को ऐसे Deemed Export संबंधी सप्लाई पर दिये गये कर के रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की अनुमति है। Deemed Export Supplies के मामलों में यदि सप्लायर द्वारा रिफण्ड हेतु आवेदन किया जाता है तो विज्ञप्ति सं0– क0नि0–2–1697/XI–9(42)/17यू0पी0जी.एस.टी. रूल्स 2017 आदेश–(72)–2017 दिनांक 16.11.2017 प्रभावी दिनांक 18.10.17 में उल्लिखित दस्तावेज सप्लायर द्वारा साक्ष्य के रूप में दाखिल किये जायेंगे तथा सप्लायर द्वारा इस आशय का शपथ पत्र, प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित भी दाखिल किया जायेगा

कि प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसे माल की सप्लाई पर रिफण्ड नहीं क्लेम किया जायेगा तथा उक्त की सप्लाई पर प्राप्तकर्ता द्वारा आई.टी.सी. क्लेम नहीं किया गया है। यह शपथ पत्र भी रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र के साथ मैन्युअली दाखिल किया जायेगा। इसी प्रकार यदि उक्त प्रकार की Deemed Export की सप्लाई हेतु आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता (Recipient) द्वारा दाखिल किया जाता है तो प्राप्तकर्ता द्वारा इस आशय का सप्लायर द्वारा दिया गया शपथ पत्र मैनुअली दाखिल किया जायेगा कि सप्लायर द्वारा ऐसी सप्लाई हेतु रिफण्ड क्लेम नहीं किया जायेगा। केन्द्र के परिपत्र सं0– 14/14/2017 जी.एस.टी. दिनांक 06.11.2017 में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार माल की खरीद DTA से EOU /Electronic Hardware Technology Park (EHTP) Unit /Software Technology Park (STP) unit / Bio-Technology Parks (BTP) Unit द्वारा Deemed Export के भांति की जायेगी।

4.1 एस.जी.एस.टी. रूल्स के नियम–89(2)(g) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार से Statement-5B of Form GST RFD-01A, Deemed Export से सम्बन्धित रिफण्ड क्लेम किये जाने हेतु दाखिल किया जायेगा।

Statement- 5B [Rule- 89(2)(g)]

रिफण्ड का प्रकार : डीम्ड एक्सपोर्ट से संबंधित रिफन्ड

क्र0सं0	यदि रिफण्ड सप्लायर द्वारा क्लेम किया जा रहा है तो आउटवर्ड सप्लाई सम्बन्धी इनवाइस का विवरण/यदि प्राप्तकर्ता द्वारा रिफण्ड क्लेम किया जा रहा है तो इनवर्ड सप्लाई से संबंधित इनवॉयस का विवरण			जमा कर			
	इनवॉयस नम्बर	दिनांक	करयोग्य धनराशि	इण्टीग्रेटेड कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7	8

5. क्षेत्राधिकार प्राप्त प्रॉपर ऑफिसर जिसके समक्ष मैन्युअल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, सुनिश्चित करने हेतु कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा जारी परिपपत्र सं0–1067 दिनांक 28/11/2017 का संदर्भ लिया जा सकता है। सी.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 92 के अनुसार यदि कोई रिफण्ड की धनराशि या तो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अस्वीकार की जाती है तो डेबिट की गई धनराशि, अस्वीकृत की गयी धनराशि की सीमा तक, electronic credit ledger में re-credit की जायेगी तथा उसके सापेक्ष्य Form GST RFD 1-B में आदेश पारित किया जायेगा, जब तक कि Form GST PMT-3 का प्रारूप कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हो जाता है। अग्रेतर, स्वीकृत की गयी रिफण्ड की धनराशि का भुगतान संबंधित केन्द्र अथवा राज्य के कर अधिकारी द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः जिस केन्द्र अथवा राज्य कर अधिकारी द्वारा रिफण्ड हेतु आदेश पारित किया जायेगा उससे संबंधित स्वीकृत रिफण्ड की कर अथवा सेस की धनराशि जैसा कि देय हो, को 7 कार्य दिवस के अन्दर भुगतान हेतु अपने समकक्ष कर अधिकारी को सूचित किया जायेगा, जिससे राज्य/केन्द्र कर/सेस से सम्बन्धित स्वीकृत रिफण्ड की धनराशि को उक्त अधिकारी द्वारा भुगतान किया जा सके। Zero rated supplies, से संबंधित रिफण्ड के प्रार्थनापत्रों में भी समय–सीमा 7 कार्य दिवस की रहेगी तथा परिपत्र संख्या–1067 दिनांक 28.11.2017 के पैरा–4 में 3 दिन की निर्धारित समय–सीमा नहीं लागू रहेगी। रिफण्ड संबंधी प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में एस0जी0एस0टी0 एक्ट की धारा–54(7) तथा एस0जी0एस0टी0 नियमावली के नियम– 91(2) में दिये गये समय–सीमा का पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. केन्द्र कर तथा राज्य कर के रिफण्ड की स्वीकृति की प्रकिया को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु यह आवश्यक है कि संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित रिफण्ड आदेश की सूचना के आदान–प्रदान हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा नोडल अधिकारी नामित किये जायें, जिनके द्वारा डेडिकेटेड email id के माध्यम से liasioning की जाये। इस हेतु जनपदवार संलग्नक–'क' के अनुसार राज्य कर हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं, जहॉ केन्द्रीय कर अधिकारी द्वारा अस्थाई रूप से रिफण्ड आदेश पारित करते हुये केन्द्र कर तथा राज्य कर का रिफन्ड स्वीकृत किया जाता है तथा सी0जी0एस0टी0 नियमावली के नियम 91(2) के कम में स्वीकृति हेतु आदेश पारित किया जाता है, केन्द्रीय कर अधिकारी द्वारा यह सूचना नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य कर अधिकारी को प्रेषित की जाएगी जिससे राज्य कर की स्वीकृत रिफन्ड की धनराशि का भुगतान व्यापारी को प्राप्त हो सके तथा इसी प्रकार की प्रक्रिया राज्य कर अधिकारी द्वारा अपनाई जाएगी। उपरोक्त सूचना email के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। email द्वारा रिफण्ड स्वीकृति हेतु आदेश (Form GST RFD -04 तथा Form GST RFD -06) की scanned प्रतियॉ, रिफण्ड प्रार्थना पत्र (Form GST RFD-01A) तथा Acknowledgement Receipt Number (ARN) प्रेषित की जायेंगी। तत्पश्चात व्यक्ति के क्षेत्राधिकार से संबंधित केन्द्र अथवा राज्य के Proper officer द्वारा Form GST RFD -05 जारी किया जायेगा तथा डी0डी0ओ0 को Refund के भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा। संबंधित PAO के द्वारा व्यक्ति/व्यापारी के बैंक एकाउंट में भुगतान किए जाने की सूचना केन्द्र तथा राज्य कर अधिकारियों द्वारा एक दूसरे को प्रेषित की जायेगी। उपरोक्तानुसार Final Refund की स्वीकृति के पश्चात भी सूचना का आदान प्रदान किया जाये।

7. परिपत्र संख्या–1067 दिनांक 28.11.2017 के पैरा 2.4 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे मामलों में जहॉ electronic cash ledger में अतिरिक्त आई0टी0सी0 हेतु रिफण्ड क्लेम किया जा रहा है, वहॉ रिफण्ड द्वारा क्लेम की जा रही धनराशि electronic cash ledger से डेबिट हो जायेगी।

उपरोक्तानुसार सभी कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा रिफण्ड हेतु मैनुअली प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक : जनपदवार नोडल अधिकारियों की सूची।

30/1/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. डिप्टी कमिश्नर/आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
3. संलग्नक–'क' में नामित समस्त नोडल अधिकारी ।

30/1/2018

एडीशनल कमिश्नर (जी.एस.टी.),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या– 1334 दिनांक 30-01-2018 का

संलग्नक–क

जी0एस0टी0 रिफण्ड हेतु नामित नोडल अधिकारी

जोन का नाम		जनपद का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नं0	ई–मेल आई0 डी0
आगरा	1	आगरा	अशोक कुमार	डिप्टी कमिश्नर	7235002330	ashok.112959@gov.in
अलीगढ़	2	अलीगढ़	बजरंगी यादव	डिप्टी कमिश्नर	7235002205	ctddoal-up@nic.in
	3	एटा	जितेन्द्र कुमार	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235002241	jitendra.131981gov.in
	4	कांशीराम नगर(कासगंज)	आर0के0तिवारी	डिप्टी कमिश्नर	7235002211	rktiwaricomtaxksj@gamail.com
	5	मथुरा	श्री श्रीपाल	डिप्टी कमिश्नर	7235002220	shreepal.d.c@gmail.com
	6	हाथरस	श्री संजय कुमार	डिप्टी कमिश्नर	7235002212	sajay.9121966@gov.in
बरेली	7	बरेली	गौरीशंकार	डिप्टी कमिश्नर	7235002116	gauri.1491966@gov.in
	8	बदायूँ	महेश चन्द्र	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235002146	mahes.1711980@gov.in
	9	शाहजहाँपुर	डा0 अनन्तराम	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235002148	anant.14101972@gov.in
	10	पीलीभीत	चेतराम	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235002153	chetram25101971@gov.in
मेरठ	11	मेरठ	ओमप्रकाश राय	डिप्टी कमिश्नर	7235001618	oprai1963@gmail.com
	12	बागपत नगर(बड़ौत)	धर्मेन्द्र चौधरी	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235001647	dcdcdc.c@gmail.com
सहारनपुर	13	सहारनपुर	अनिल कुमार	डिप्टी कमिश्नर	7235001721	anil.531975@gov.in
	14	मुज्जफ्रनगर	संतोष कुमार अग्रवाल	डिप्टी कमिश्नर	7235001735	comtaxmzndcadmnmzn@gmail.com
	15	शामली	सत्यप्रकाश	डिप्टी कमिश्नर	7235001738	satya22041972@gmail.com
मुरादाबाद	16	मुरादाबाद	रमाशंकर	डिप्टी कमिश्नर	7235001919	rshankardc@gmail.com
	17	अमरोहा(जे0पी0नगर)	अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	डिप्टी कमिश्नर	9456420423	arvindkrsrivastavadc@gmail.com
	18	रामपुर	रन्तीदेव सिंह	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235001974	ranti.7101977@gov.in
	19	बिजनौर	अनिल कुमार	डिप्टी कमिश्नर	7235001926	anilchowdhary1994@gmail.com
	20	संभल	महादेव वर्मा	डिप्टी कमिश्नर	9927788008	comtax728mverma@gmail.com
इटावा	21	फतेहगढ़	विवेक सिंह	ड्रिप्टी कमिश्नर	7235002516	vivekshinghdc@gamil.com

	22	इटावा	आर0के0गोयल	डिप्टी कमिश्नर	7235002512	goyalrk831962@gamil.com
	23	औरैया	भूपेन्द्र सिंह	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235002548	bhoopy6vibhas@gamil.com
	24	कन्नौज	राजकुमार त्रिपाठी	डिप्टी कमिश्नर	7235002520	rajkumartripathi0@gamil.com
	25	मैनपुरी	वेदानंद ओझा	डिप्टी कमिश्नर	9956565048	vnojha1958@gamil.com
	26	फिरोजाबाद	उदयप्रताप	डिप्टी कमिश्नर	7235002524	udaipratap31@gamil.com
झाँसी	27	झाँसी	डी0पी श्रीवास्तव	डिप्टी कमिश्नर	7235002615	dpsrijhs@gamil.com
	28	ललितपुर	ऋषिकेश	असिस्टेण्ट कमिश्नर	9889129812	Singhharikes1977@gmail.com
	29	उरई जालौन	योगेन्द्र सिंह	असिस्टेण्ट कमिश्नर	9839323924	yogendra.1011978@gov.in
	30	बाँदा	संजय कुशवाहा	डिप्टी कमिश्नर	7235002619	SanjayKumar.Kushwaha@gmail.com
	31	चित्रकूट कर्वी	मचल सिंह वर्मा	डिप्टी कमिश्नर	7235002621	Machal.341964@gov.in
	32	महोबा	अरविन्द्र पाण्डे	असिस्टेण्ट कमिश्नर	9415450030	Arvind.14197@gov.in
	33	हमीरपुर	सिंह प्रदीप भुवनेश्वर	असिस्टेण्ट कमिश्नर	9654087950	pradchemistry@gmail.com
कानपुर	34	कानपुर	चन्द्रकांत रलहन	डिप्टी कमिश्नर	7235002720	ck.ralhan@gmail.com
	35	उन्नाव	मधुसूदन सिंह	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235002754	MSmadhusudansingh@gmail.com
	36	झींझक कानपुर देहात	सौम्या जायसवाल	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235002751	saujais2012@gmail.com
इलाहाबाद	37	इलाहाबाद	अरूण कुमार गौतम	डिप्टी कमिश्नर	7235003123	akg.saroj@gmail.com
	38	उ0न्या0कार्य इलाहाबाद	अरूण कुमार गौतम	डिप्टी कमिश्नर	7235003123	akg.saroj@gmail.com
	39	प्रतापगढ़	मनोज कुमार मिश्र	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003193	manoj.10101981.@gmail.com
	40	फतेहपुर	प्रशान्त अवस्थी	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003157	prashant.851981@gmail.gov.in
गौतमबुद्धनगर	41	गौतमबुद्धनगर	ममता राठौर	डिप्टी कमिश्नर	7235001211	dcadmnnoida@gmail.com
गाजियाबाद	42	गाजियाबाद	प्रमोद कुमार दुबे	डिप्टी कमिश्नर	7235001330	dpramod9@gmail.com
	43	हापुड़	रामआसरे प्रसाद	डिप्टी कमिश्नर	7235001340	ramasharayprasad9@gmail.com
	44	बुलन्दशहर	**रक्षपाल सिंह**	डिप्टी कमिश्नर	7235001523	rpct1035@gmail.com
गोरखपुर	45	गोरखपुर	श्यामधर तिवारी	डिप्टी कमिश्नर	7235003629	tiwari.shyamdhar@gmail.com
	46	देवरिया	प्रबल कुमार	डिप्टी कमिश्नर	7235003621	prabal.111969@gov.in

	47	कुशीनगर	भारतभूषण राज	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003661	bharat.2271977@gov.in
	48	महाराजगंज	हरिश्चन्द्र मौर्य	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003657	haris.1571978@gov.in
	49	बस्ती	अशोक कुमार त्रिपाठी	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003647	ashok.3171983@gov.in
	50	सिद्धार्थनगर	उमाशंकर विश्वकर्मा	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003658	uma.2081980@gov.in
	51	संतकबीर नगर	नित्यानंद मणि तिवारी	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003692	nityanandmani81@gmail.com
फैजाबाद	52	फैजाबाद	विजय कुमार	डिप्टी कमिश्नर	7235003213	ctddofz-up@nic.in
	53	अमेठी	सुरेम कुमार	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003248	suremkumar93@gmail.com
	54	अम्बेडकर नगर	विपिन कुमार	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003249	bipinkumargupta67@gmail.com
	55	सुल्तानपुर	नवीन चन्द्र	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003259	naveen05@gmail.com
	56	बारबंकी	श्रीमती प्रेरणा श्रीवास्तव	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003251	prerna.28111970@gov.in
	57	गोण्डा	मनीष कुमार	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003263	manishac3113@gmail.com
	58	बलरामपुर	पुष्पेश सिंह	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003810	comtax.balrampur@rediffmail.com
	59	बहराईच	मिलिन्दराज	डिप्टी कमिश्नर	7235003229	milindraaj@gmail.com
लखनऊ	60	लखनऊ	अनिल कुमार	डिप्टी कमिश्नर	7235002922	anil_trade06@rediffmail.com
	61	उ0न्यायालय कार्य लखनऊ	मुन्नी लाल	डिप्टी कमिश्नर	7235002962	munnilal1963@gmail.com
	62	रायबरेली	शैलेन्द्र कुमार मौर्या	असिस्टेण्टकमिश्नर	7235002968	shailender.511970@gov.in
	63	हरदोई	प्रद्युम्न गुप्ता	असिस्टेण्टकमिश्नर	7235002965	pradyumana.781977@gov.in
	64	सीतापुर	अशीष शुक्ला	असिस्टेण्टकमिश्नर	7235003050	ashishvbshukla@gmail.com
	65	लखीमपुर खीरी	श्रीधर त्रिपाठी	असिस्टेण्टकमिश्नर	7235003042	shridharcto@gmail.com
वाणिज्य कर, मुख्यालय	66	मुख्यालय, लखनऊ	सुनीत रंजन शर्मा	डिप्टी कमिश्नर	7235001023	shnit2610@gmail.com
वाराणसी	67	वाराणसी	रविराज प्रताप मल	डिप्टी कमिश्नर	7235003324	rpmall.1966@gmail.com
	68	सहा0के0नौबतपुर चन्दौली	अभिलाष यादव	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003350	abhilash3435@gmail.com
	69	गाजीपुर	विरेन्द्र कुमार सरोज	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003358	bks945556@gmail.com
	70	जौनपुर	दिनेश कुमार	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003456	dinesh.sanskar@gmail.com
	71	मिर्जापुर	कांशीनाथ राम	डिप्टी कमिश्नर	7235003424	ctddomi-up@nic.in

	72	भदोही (संत रविदास नगर)	संजय कुमार सिह	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003477	sanjay.331978@gov.in
	73	राबर्टसगंज (सोनभद्र)	प्रदीप कुमार	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003469	pradeep.1571973@gmail.com
	74	आजमगढ़	गुलाम रब्बानी	डिप्टी कमिश्नर	7235003417	grabbani173@gmail.com
	75	मऊनाथ भंजन	डी0पी0 सिंह	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003461	sdp247978@gmail.com
	76	बलिया	जयंत कुमार सिंह	असिस्टेण्ट कमिश्नर	7235003450	jayant.3171977@gov.in
प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ	77	संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)	ज्योति भौंत	उपनिदेशक	7235001104	jyotibhaunt@rediffmail.com

30/1/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।